रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1990/आषाढ़ 29, 1912
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1990/ASADHA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1990

सार्वजनिक सूचना सं. 44 आई टी सी (पी एन)/90-93

विषय :—अप्रैल 1990—मार्च 1993 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं. आई पी सी/4/5(31)/90—93.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन)/90—93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1990-मार्च, 1993 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति 1990-93 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे:—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	22	अध्याय-5 पैराग्राफ 63(1)	निम्नलिखित को इस उप-पैरे के बाद जोड़ा जाएगा : — "तथापि आटोमोबाइल्स इलक्ट्रोनिकी मदों और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को, यह ध्यान में रखे बिना कि वे देशजीकरण के चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तों को अर्हता पाते हैं या नहीं इस नीति में दिए गए के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए सूची सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।"

1	2	3	4
2.	23	अध्याय-5 पैराग्राफ-64 उप-पैराग्राफ (3)	इस उप-पैरे की प्रथम पंक्ति में आने वाले शब्द "नहीं" को 'भी' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।
3.	23	अध्याय-5 पैराग्राफ-64	वर्तमान उप-पैराग्राफ (4) के बाद निम्नलिखित नया उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा :— "(5) इस नीति में निहित किसी बात के होते हुए भी, आटोमोबाइल्स, इलैक्ट्रानिकी मदों और कंज्यूमर ड्यूरेबल के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को, यह ध्यान में रखे बिना कि वे देशजीकरण चरणबार विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तों के अंतर्गत आते है या नहीं, खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत संघटकों के साथ-साथ कच्चे माल के आयात के लिए सूची सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। बड़े पैमाने के उद्योगों के मामले में सूची सत्यापन संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जबकि लघु पैमाने के उद्योगों के मामले में सूची सत्यापन विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली या उनकी ओर से लघु उद्योग विकास संगठन (एस आई डी ओ) द्वारा किया जाएगा।"
4.	23	अध्याय-5 पैराग्राफ-65 उप-पैराग्राफ (2)	इस उप-पैरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : "(2) संपूरक लाइसेंसों के लिए हकदारी की गणना 10% की वृद्धि दर की अनुमति दे कर और अप्रयुक्त लाइसेंसों, मौजूदा भंडार और पाइपलाइन के माल के मूल्य को घटाकर 18 मास की अवधि की जरूरतों के आधार पर की जाएगी। देशज चरणबार विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एकक के मामले में आवेदन-पत्र उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार देशज चरणबार विनिर्माण कार्यक्रम के लिए है । तथापि संपूरक लाइसेंस के लिए सिफारिश केवल 12 मास की अवधि की वास्तविक जरूरतों तक सीमित होगी।"

3. आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 44—ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 20th July, 1990

Subject:—Import and Export Policy for April 1990—March 1993

F. No. IPC/4/5/(31)/90-93.—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/90—93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No of Import and Export Policy, 1990—93 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	22	Chapter V (Paragraph 63(1)	The following may be added at the end of this sub-paragraph:— "However, Actual Users engaged in the manufacture of automobiles, electronic items and consumer

1	2	3	4
			durables will be required to follow List Attestation Procedure for import of raw materials and components under Open General Licence as mentioned in this policy irrespective of whether they are subject to Phased Manufacturing Programme of Indigenisation or not."
2.	23	Chapter V Paragraph 64 Sub-paragraph (3)	The word 'not' appearing in the first line of this sub-paragraph may be substituted by the word 'also'.
3.	23	Chapter V Paragraph 64	After the existing sub-paragraph (4), the following new sub-paragraph shall be added: "(5) Notwithstanding anything contained in this policy, Actual Users engaged in the manufacture of automobiles, electronic items and consumer durables will be required to follow the List Attestation Procedure for import of components as well as raw materials under Open General Licence irrespective of whether they are subject to Phased Manufacturing Programme of indigenisation or not. In the case of large scale units, the list attestation will be done by the concerned sponsoring authority, while in the case of Small Scale Units, the list attestation is to be done by the Development Commissioner (S.S.I.), New Delhi or the Small Industries Development Organisation (SIDO) on his behalf."
4.	23	Chapter V Paragraph 65 Sub-paragraph (2)	This sub-paragraph shall be substituted by the following:.. "(2) Entitlement for Supplementary licences will be worked out on the basis of requirements for a period of 18 months, after allowing a growth rate of 10 per cent and deducting the value of unutilised licences, stocks in hand and those in the pipelines. In the case of units under the Phased Manufacturing Programme of Indigenisation, the application should be as per the Phased Manufacturing Programme of Indigenisation.

1	2	3	4
			However, the recommendation for grant of Supplementary licence shall be limited to the actual requirements for a period of 12 months only."

3. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990